न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

[illegible] 94/2020

[illegible] पुत्र स्व0 श्री जगूराम, जाति जाट, निवासी मोडसरा का बास, उप तहसील [illegible] जिला झुन्झुनू (राज0)

– – अपीलान्ट

बनाम

[illegible] झुन्झुनू, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)
[illegible] तहसीलदार उप तहसील मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)
[illegible] पुत्र श्री हरलाल, जाति जाट, निवासी मोडसरा का बास, उप तहसील मण्डावा, [illegible] झुंझुनूं

– – रेस्पोडेन्ट

[illegible] अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 अपील विरूद्ध निर्णय [illegible] तहसीलदार झुंझुनूं आदेश क्रमांक राजस्व/2020/666–67 आदेश दिनांक [illegible] बाबत मोडसरा के बास से कुमास का आम रास्ता खुलवाने बाबत।

[illegible]

[illegible] विजयपाल, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से
[illegible] श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से।
[illegible] संख्या 3 अनुपस्थित।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.23 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 19.04.2021

[illegible] विषयक अपील मय प्रा0प0 स्थगन के विद्वान तहसीलदार झुंझुनू के आदेश [illegible] 18.05.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील अपीलान्ट के अनुसार रेस्पोडेन्टस [illegible] ने खेत खसरा नं0 132 सरहद मौजा मोडसरा का बास के नक्शे में दर्शित डॉटेड [illegible] के रास्ते को खुलवाने के आदेश दिनांक 18.05.2020 को रेस्पोडेन्टस नं0 2 को

अदालत मातहत रेस्पोडेन्टस सं0 1 द्वारा पारित आदेश जैर बहस दिनांक 18.05. विधिक कानून न्याय एवं पत्रावली है। अदालत मातहत ने दिवानी प्रक्रिया संहिता कोर्ट मेन्यूवल 1956 भाग द्वितीय के आदेशात्मक प्रावधानो की पालना नहीं से अदालत मातहत को प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान के नाम व पते दर्ज थी। अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है। अदालत के अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है। सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत का अवसर नही दिया गया है। जमीन खसरा नं0 132 के सह खातेदार दयानन्द आदेश जैर बहस पारित होने के पूर्व हुई। उक्त तथ्य की जानकारी रेस्पोडेन्टस जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। मृतक सह खातेदार के वारिसान को बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्टस सं0 3 दिनांक 06.05.2020 को रेस्पोडेन्टस नं0 2 के समक्ष प्रार्थना पत्र ग्राम मोडसरा के बास का आम रास्ता खुलवाने हेतु पेश होना प्रकट होता है। जिस पर दिनांक को पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश होना प्रकट होता है। इसके बाद दिनांक को भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की एक फर्द मौका रिपोर्ट पेश प्रकट होता हैं और इसके पश्चात उसी रोज रेस्पोडेन्टस सं0 2 द्वारा रेस्पोडेन्टस सं0 का पत्र क्रमांक राजस्व/2020/150 दिनांक 18.05.2020 को प्रेषित किया जाता है रेस्पोडेन्ट सं0 1 से खेत खसरा नं0 132 में से नक्शा में दर्शित डोटेड लाईन के को खुलवाने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु लिखा जाता है और इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा दिनांक 18.05.2020 को ही रेस्पोडेन्ट सं0 2 को उपरोक्त पत्र के का रास्ता खोले जाने का आदेश पारित किया जाता है। इस प्रकार अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने गलत रूप निर्णय जैर बहस मनमाने रूप से पारित किया है। रास्ता राजकीय गैर मुमकिन नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं0 3 ने तथाकथित रास्ते को कथित कर खुलवाना चाहा तथाकथित रास्ता नक्शे में डॉटेड लाईन से दर्ज है। डॉटेड लाईन से दर्ज रास्ता स्थाई अथवा आम रास्ता नहीं होता बल्कि सर्वे, एवं सैटलमेंन्ट (गर्वमेन्ट) रूल 1957 के नियम 17 के मुताबिक सीजनल व होता है और सीजनल व अस्थाई रास्ते को खोलने अथवा खुलवाने का कानून से रेस्पोडेन्टस के पास नहीं रहा है। अदालत मातहत ने क्षेत्राधिकार के आदेश जैर बहस पारित कर तथाकथित रास्ता खोलने की कार्यवाही की है सम्मत नहीं है। रेस्पोडेन्ट नं0 3 ने ग्राम मोडसरा के बास से ग्राम कुमास को तथाकथित आम रास्ता खेत खसरा नं0 132 में से खुलवाना चाहा। खेत खसरा के नक्शा में डॉटेड लाईन से दर्शित रास्ता ग्राम मोडसरा का बास से ग्राम जाने के लिए कभी उपयोग में नही रहा है। ना रेस्पोडेन्ट सं0 3 के खेत में जाने आया। ग्राम मोडसरा का बास की आबादी से ग्राम कुमास जाने का रास्ता नं0 91, 126, 124, 123, 122 व 133 मे से रहा है और हमेशा इन्ही खसरा से रास्ता चालू रहा है। खेत खसरा नं0 123 व 122 की सीमा से उक्त मौजूद रहा है। जिसकी ताईद पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक को अपीलान्टस रेस्पोडेन्टस ने उक्त खेत खसरा नं0 123 व परेशान करने के लिए खेत खसरा नम्बर 132 के नक्शा में दर्शित डॉटेड लाईन आधार पर रास्ता खुलवाने के आदेश गलत रूप से पारित करवाया है। प्रकरण में क्षेत्राधिकार का बिन्दू अन्तरवलित नहीं रहा है। ग्राम मोडसरा के बास से ग्राम कुमास को

जिला कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.23 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested

... के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि सीजनल अथवा अस्थाई रास्ते खोले जा सकें। खसरा नम्बर 132 के नक्शा में डॉटेड लाईन ... अंकन गलत दर्ज है और उक्त अंकन को सही भी माना जावे तो भी सीजनल व अस्थाई रास्ते को खुलवाने का कोई प्रावधान विधि में नही है। विधि की यह स्पष्ट व्यवस्था ... है कि किसी व्यक्ति अथवा काश्तकार के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने की सूरत में ... सुविधा के लिए कम दूरी के रास्ते की मांग नही की जा सकती। अस्थाई व सीजनल रास्ते में सुखाधिकार पैदा नहीं होता क्योंकि सुखाधिकार निरन्तरता होने की स्थिति में ही पैदा हो सकता है जबकि अस्थाई व सीजनल रास्ते निरन्तर चालू नहीं रहते ... अदालत मातहत ने विधि को बिना समझे मनमर्जी से पद का दुरूपयोग कर आदेश जैर ... पारित किया है। अदालत मातहत ने ऐसी कोई फर्द भी तैयार नही करवायी जिससे ... मोडसरा का बास से ग्राम कुमास जाने की स्थिति स्पष्ट होती हो। पटवारी हल्का की ... दिनांक 14.05.2020 में खसरा नं0 124 व 122 तथा 123 में दर्शित रास्ता ग्राम ... के बास से ग्राम कुमास को जाने का अथवा रेस्पोडेन्ट सं0 3 के खेत में जाने का ... कभी नहीं रहा है। अदालत मातहत ने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर आदेश जैर ... पारित किया है। अदालत मातहत ने वैकल्पिक रास्ते की जांच नहीं करवायी तथा यह ... भी नही करवायी तथाकथित आम रास्ता खेत खसरा नं0 132 में बंद कब किया गया ... वस्तुस्थिति यह है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 14.05.2020 में खेत खसरा ... व 123 की दक्षिणी सीमा पर स्थित रास्ते में मनरेगा के तहत रास्ता दुरूस्तीकरण ... कार्य तक किया गया है। उक्त तथ्य की जानकारी रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 को रही है। ... सं0 1 व 2 ने रेस्पोडेन्ट सं0 3 को नाजायज फायदा पहुचाने की नियत से खेत ... नं0 132 में रास्ता खोलने का आदेश पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन ... कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं ... रेस्पोडेन्ट सं0 1) द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/2020/666–67 दिनांक ...2020 बाबत मोडसरा के बास से कुमास का आम रास्ता खुलवाने बाबत को निरस्त ... जावे।

वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के ... अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि कानून से अदालत ... को प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान के नाम व पते दर्ज करने चाहिये थे। अपीलान्ट को ... का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का ... नही दिया गया है। जमीन खसरा नं0 132 के सह खातेदार दयानन्द की मृत्यु ... बहस पारित होने के पूर्व हुई। उक्त तथ्य की जानकारी रेस्पोडेन्टस को आदेश ... पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। मृतक सह खातेदार दयानन्द के ... को बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित किया है। तथाकथित रास्ता राजकीय गैर ... नहीं है। कानून से डॉटेड लाईन से दर्ज रास्ता स्थाई अथवा आम रास्ता नहीं होता ... रिकार्ड, एवं सैटलमेंन्ट (गर्वमेन्ट ...) के मुताबिक ... व अस्थाई रास्ता होता है और सीजनल व अस्थाई रास्ते को खोलने अथवा ... का अधिकार कानून से रेस्पोडेन्टस के पास नहीं है। खसरा नं0 132 के ... में डॉटेड लाईन से दर्शित रास्ता ग्राम मोडसरा से ग्राम कुमावास जाने के ... कभी उपयोग में नही रहा है। ना रेस्पोडेन्ट सं0 3 के खेत में जाने के काम में आया। ... में सुखाधिकार का बिन्दू अन्तरवलित नहीं रहा है। ग्राम मोडसरा के बास से ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.23 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested

कुमास को जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। तहसीलदार को केवल धारा 251 मे ही रास्ता खुलवाने के अधिकार है। डोटेड लाईन के रास्ते को खुलवाने का अधिकार तहसीलदार को नही है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं (रेस्पोडेन्ट सं0 1) द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/2020/666–67 दिनांक 18.05.2020 बाबत मोडसरा के बास से कुमास का आम रास्ता खुलवाने बाबत को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत् है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि के मौके पर रास्ता बंद कर रखा था जिसे तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा डोटेड/रिकार्डेड होने के कारण नियमानुसार खुलवाया गया। अपीलान्ट की अपील भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं का निर्णय दिनांक 18.05.2020 यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपने आदेश क्रमांक राजस्व/2020/666–67 दिनांक 18.05.2020 द्वारा ग्राम मोडसरा का बास से कुमास जाने वाला रास्ता खसरा नम्बर 132 जो डोटेड लाईन से नक्शे में दर्ज है को खोलने के आदेश दिये है। उक्त के संबंध में अपीलान्ट के तर्क है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 132 की खातेदारी दयानन्द, भीवांराम पुत्रान जगूराम जाति जाट दर्ज रिकार्ड है। दयानन्द का देहान्त हो चुका है परन्तु अदालत मातहत ने किसी भी खातेदार को सुनावाई का अवसर प्रदान नहीं किया है तथा अदालत मातहत डोटेड रास्ते को खोलने के आदेश प्रदान किये है सैटलमेन्ट (गर्वमेन्ट)रूल्स 1957 के नियम 17 के मुताबिक डोटेड रास्ता आम रास्ता न होकर सीजनल व अस्थाई रास्ता होता है। अदालत मातहत को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 के तहत प्रचलित रास्ते को खुलवाने का अधिकार प्राप्त है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 19.05.2020 के अनुसार खसरा नम्बर 132 के काश्तकार द्वारा मध्य से जाने वाले डोटेड रास्ते को बन्द कर रास्ते को खेत के पश्चिमी सीमा पर डाल दिया है। जो खसरा नम्बर 122, 123 के दक्षिणी सीमा से होकर जाने वाले रास्ते में मिलता है। खसरा नम्बर 122, 123 के काश्तकारों न अपने खेत की दक्षिणी सीमा से जाने वाले रास्ते को तारबन्दी कर बन्द कर दिया है तथा रिकार्ड में दर्ज डोटेड रास्ते को चालु कर दिया है। हम अपीलान्ट के तर्को से सहमत है अदालत मातहत को खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये जाने बाद आदेश पारित किया जाना चाहिए था तथा साथ ही अदालत मातहत द्वारा डोटेड रास्ते को खुलवाया गया है जो अस्थाई रास्ता होता है परन्तु पटवारी रिपोर्ट में किसी खातेदार द्वारा रास्ते को बन्द करने से अन्य खातेदारों को होने वाली परेशानी को भी नजरअन्दाज किया जाना उचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.23 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि अदालत मातहत खातेदारों की सुनावाई का समुचित अवसर करते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें तथा पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि तब तक वह मौके पर खोले गये रास्ते को सूचारू रखे तथा उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत पृथक से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

पकावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/04/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.23 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested